भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2239

09.12.2024 को उत्तर के लिए

हाथियों का संरक्षण

2239. सुश्री सयानी घोष :
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में हाथियों की कोई गणना कराई है और यदि हां, तो देश भर में नेशनल पार्को, बाघ अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों में कुल कितने हाथी हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में हाथियों की मौत के संबंध में वर्ष-वार और राज्य-वार आंकडे क्या हैं और उक्त हाथियों की मौत के क्या कारण हैं;

(ग) हाथियों की बढ़ती मौतों को रोकने और इनके कारणों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) हाथियों के संरक्षण और पर्यावास पुनरुद्धार हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान हाथियों के संरक्षण और पर्यावास पुनरुद्धार के लिए राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई; और

(च) विगत पांच वयों के दौरान हाथियों के हमलों को कम करने और उनके संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में लेमरु हाथी गलियारा सहित हाथियों के लिए गलियारे में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) सिंक्रोनाइज़्ड एलीफ़ैंट एस्टीमेशन, 2017 के अनुसार देश में हाथियों की कुल संख्या 29964 पायी गयी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन विभागों के समन्वय से 'ऑल इंडिया सिंक्रोनाइज़्ड एलीफ़ैंट एस्टीमेशन' की शुरूआत की है।

(ख) से (च) राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान ट्रेन की चपेट में आने, बिजली का झटका लगने, अवैध शिकार और जहर दिए जाने जैसे विभिन्न कारणों से हाथियों की हुई मौत का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। मानव-हाथी संघर्ष (एचईसी) की

रोकथाम और प्रबंधन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है। राज्य वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 'एचईसी' मुद्दों को सुलझाने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि आम जनता को मानव-पशु संघर्ष के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके, उनका मार्गदर्शन किया जा सके और उन्हें सलाह दी जा सके, जिसमें मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार भी शामिल है। इसके अलावा, वन विभाग हाथियों की आवाजाही पर नज़र रखने और स्थानीय लोगों को मानव-हाथी संघर्ष से बचने, मानव जीवन और हाथियों को होने वाले नुकसान या क्षति को रोकने हेतु सावधान करने के लिए पशु ट्रैकर के रूप में स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ रहे हैं। लेमरू कोई गलियारा नहीं है, बल्कि इसे 07.10.2021 को 1995-48 हेक्टेयर क्षेत्र वाले एक हाथी-रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। राज्य ने लेमरू हाथी रिजर्व से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) मंत्रालय हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों की सुरक्षा, मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दों का समाधान करने और देश में पकड़े गए हाथियों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना-हाथी एवं बाघ परियोजना (सीएसएस-पीटीएंडई) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान सीएसएस-पीटीएंडई के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धन और योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसके उपयोग का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ii) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास सहित अन्य विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें जल स्त्रोतों के संवर्धन, चारा के पौधरोपण, बांस के पुनरुद्धार आदि द्वारा हाथियों के प्राकृतिक पर्यावास में सुधार करने में योगदान करती हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में भी हाथियों सहित वन्यजीव पर्यावासों के विकास, पशु बचाव केन्द्रों की स्थापना आदि के लिए भी धन के उपयोग का प्रावधान है, जिनका एचईसी को कम करने में भी योगदान होता है।

(iii) मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2021 में एक एडवाइजरी जारी किया गया है। इस एडवाइजरी में समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई, संघर्ष वाले हॉटस्पॉट की पहचान, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना, अनुग्रह राहत की मात्रा की समीक्षा के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन, शीघ्र भुगतान के लिए मार्गदर्शन/निर्देश जारी करना और व्यक्तियों की मृत्यु और घायल होने की स्थिति में हताहत

हुए व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह राहत के उपयुक्त हिस्से का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन पर दिनांक 3 जून, 2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें वन सीमांत क्षेत्रों में उन फसलों को बढ़ावा देना शामिल है जो जंगली जानवरों के लिए अरुचिकर होते हैं, कृषि वानिकी मॉडल जिसमें नकदी फसलें जैसे मिर्च, नींबू घास, खस घास आदि को पेड़/झाड़ी प्रजातियों के साथ उपयुक्त रूप से मिश्रित किया जाता है। इसमें संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य कृषि/बागवानी विभाग द्वारा वैकल्पिक फसल के लिए व्यापक दीर्घकालिक योजना को तैयार करना और कार्यान्वयन भी शामिल है।

(v) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक समूह के परामर्श से एक 'ईको फ्रैंडली मेजर्स टू मिटीगेट इम्पैक्ट्स ऑफ लिनियर इंफ्रास्ट्रक्चर' (2016) नामक डॉक्यूमेंटरी प्रकाशित की है, जिसका उद्देश्य रेलवे लाइनों सहित लिनियर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करने में परियोजना एजेंसियों की सहायता करना है, जिससे मानव-पशु संघर्ष कम हो सके।

(vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के साथ समन्वय करके भारत के हाथी क्षेत्र वाले 15 राज्यों (यथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 150 हाथी गलियारों का जमीनी सत्यापन किया है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन हाथी गलियारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा है।

(vii) हाथियों के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने और तालमेल बैठाने तथा संघर्ष को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हाथी पर्यावासों को 'हाथी रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय में गठित संचालन समिति की मंजूरी से अधिसूचना जारी की जाती है। अब तक 14 प्रमुख हाथी राज्यों में 33 हाथी रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं।

(viii) 29 अप्रैल, 2022 को आयोजित समिति की 16वीं बैठक के दौरान मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए एक फील्ड मैनुअल जारी किया गया है। इसके अलावा, मैनुअल का ओडिया भाषा सहित स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

(ix) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मानव-वन्य जीव संघर्ष स्थितियों से निपटने के लिए नियामक कार्यों का प्रावधान करता है।

(x) विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी डीआईएससीओएम और टीआरएएनएससीओ को जारी की गई विद्युत पारेषण लाइनों और अन्य विद्युत अवसंरचना के कारण हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन पर एडवाइजरी 16 सितंबर, 2022 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दी गई है।

(xi) मंत्रालय ने मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव-हाथी संघर्ष रोकथाम हेतु दिशानिर्देश (2023) भी जारी किया है।

(xii) मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों की प्रतिशोधात्मक हत्या न हो इसके लिए स्थानीय समुदायों को जंगली हाथियों द्वारा उनकी संपत्ति और जीवन के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने 22 दिसंबर, 2023 के पत्र संख्या डब्ल्यूएल-21/4/2023 डब्ल्यूएल के माध्यम से वन्यजीवों के विनाश से संबंधित अनुग्रह दरों में वृद्धि को अधिसूचित किया है, जिसमें जंगली जानवरों द्वारा हुई मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि को 5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करना शामिल है।

(xiii) रेल दुर्घटना में हाथियों की होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए रेल मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक स्थायी समन्वय समिति गठित की गई है।

(xiv) रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के साथ नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित की जाती हैं, ताकि रेल की टक्कर और बिजली के झटके से हाथी की आकस्मिक मृत्यु के मुद्दे का समग्र रूप से समाधान किया जा सके।

(xv) विश्व हाथी दिवस 2024 को संकटग्रस्त और संघर्षग्रस्त हाथियों को पकड़ने और स्थानांतरित करने के लिए एक अनुशंसित संचालन प्रक्रिया जारी की गई।

(xvi) 13-15 मार्च, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "मेनस्ट्रीमिंग मैनेजमेंट ऑफ द ऐलीफेन्ट रिजर्वस्" पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(xvii) भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए "हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेलवे के प्रभाव को कम करने" पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला 23-25 नवंबर, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में आयोजित की गई थी।

(xviii) 28-29 नवंबर, 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "मेनस्ट्रीमिंग मैनेजमेंट ऑफ द ऐलीफेन्ट रिजर्वस्" पर एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(xix) "भारत में विद्युत संरचना में विद्युत-आघात जोखिम को कम करने और वन्यजीव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाधान तलाश" विषय पर 11-13 जनवरी, 2024 को भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में एक क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(xx) 20 से 22 नवंबर, 2024 तक भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में "भारत में विद्युत अवसंरचना में विद्युत-आघात जोखिम को कम करना और वन्यजीव सुरक्षा को बढ़ावा देना" और "हाथियों और अन्य वन्यजीवों पर रेलवे के प्रभाव को कम करना" पर क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन।

*****

अनुबंध-I

'हाथियों का संरक्षण' के संबंध में सुश्री सयानी घोष और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2239 के भाग (ख) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई हाथियों की मौत

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	**असम**	2	5	8	7	2
2	**पश्चिम बंगाल**	5	0	0	1	4
3	**तमिलनाडु**	0	1	3	0	0
4	**झारखंड**	1	1	0	1	1
5	**केरल**	3	0	0	2	0
6	**ओडिशा**	1	4	3	3	5
7	**त्रिपुरा**	0	0	0	0	1
8	**उत्तराखंड**	2	एन.आर.	एन.आर.	1	4
9	**उत्तर प्रदेश**	0	0	0	0	0
10	**कर्नाटक**	0	1	1	0	0
	कुल	**14**	**12**	**15**	**15**	**17**

* एन.आर.- राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

अनुबंध-।

'हाथियों का संरक्षण' के संबंध में सुश्री सयानी घोष और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2239 के भाग (ख) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में बिजली के झटकों से हुई हाथियों की मौत

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	5	1	एन.आर.	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	एन.आर.	1	0
3	असम	11	13	12	8	11
4	छत्तीसगढ	2	7	4	9	10
5	झारखंड	5	5	4	6	10
6	कर्नाटक	8	9	7	15	13
7	केरल	4	2	6	7	10
8	महाराष्ट्र	0	एन.आर.	0	0	2
9	मेघालय	5	0	1	1	1
10	नगालैंड	2	1	1	0	1
11	ओडिशा	9	8	13	26	15
12	तमिलनाडु	15	9	5	14	6
13	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
14	उत्तर प्रदेश	3	0	2	0	1
15	उत्तराखंड	2	एन.आर.	एन.आर.	3	1
16	पश्चिम बंगाल	5	10	2	5	7
	कुल	**76**	**65**	**57**	**100**	**94**

***एन.आर.- राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

अनुबंध-I

'हाथियों का संरक्षण' के संबंध में सुश्री सयानी घोष और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2239 के भाग (ख) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में अवैध शिकार के कारण हुए हाथियों की मौत

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	0	0	एन.आर.	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	एन.आर.	0	0
3	असम	0	0	0	2	1
4	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0
5	झारखंड	1	0	0	0	0
6	कर्नाटक	0	0	0	0	0
7	केरल	1	1	0	0	0
8	महाराष्ट्र	0	एन.आर.	0	0	0
9	मेघालय	4	7	0	3	0
10	नगालैंड	0	2	0	0	0
11	ओडिशा	3	2	1	8	3
12	तमिलनाडु	0	2	3	1	4
13	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
14	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
15	उत्तराखंड	0	एन.आर.	एन.आर.	0	0
16	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1
	कुल	9	14	4	14	9

***एन.आर.- राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

अनुबंध-I

'हाथियों का संरक्षण' के संबंध में सुश्री सयानी घोष और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2239 के भाग (ख) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में जहर के कारण हुई हाथियों की मौत

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	0	0	एन.आर.	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	एन.आर.	0	0
3	असम	0	1	6	2	1
4	छत्तीसगढ	0	1	0	1	0
5	झारखंड	0	0	0	0	0
6	कर्नाटक	0	0	0	0	0
7	केरल	0	0	0	0	0
8	महाराष्ट्र	0	एन.आर.	0	0	0
9	मेघालय	0	0	0	0	0
10	नगालैंड	0	0	0	0	0
11	ओडिशा	0	0	0	0	0
12	तमिलनाडु	0	0	0	0	0
13	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
14	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0
15	उत्तराखंड	0	एन.आर.	एन.आर.	0	0
16	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	0
कुल		**0**	**2**	**6**	**4**	**1**

***एन.आर.- राज्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई।**

अनुबंध- II

'हाथियों का संरक्षण' के संबंध में सुश्री सयानी घोष और श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2239 के भाग (ख) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय प्रायोजित स्कीम- बाघ एवं हाथी परियोजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24*	
		आवंटित	उपयोग की गई	आवंटित	उपयोग की गई	आवंटित	उपयोग की गई	आवंटित	उपयोग की गई	आवंटित	उपयोग की गई
1.	आंध्र प्रदेश	127.03	85.51	77.28	58.628	20.5565	39.2085	0.00	10.72	149.421	118.051
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.26831	101.27	282.256	253.056	157.7615	186.599	26.8875	26.8875	1119.9145	1119.9145
3.	असम	0.00	256.68752	35.284	0.00	126.716	80.50	167.40	167.39909	2619.30784	2583.38251
4.	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	24.785	0.00	0.00	29.71110	292.855	215.165
5.	झारखंड	131.586	137.3556	111.86522	143.07	86.682	77.14962	78.05	44.82	405.785	405.785
6.	कर्नाटक	319.64799	366.62	330.40376	423.23	261.195	241.0278	97.8453	104.087	2613.0834	2612.7746
7.	केरल	312.2736	532.41	574.56	574.56	580.96765	523.19	270.09	282.24	996.22425	932.97425
8.	महाराष्ट्र	44.1944	24.76	17.98	12.84	0.00	0.00	28.524	28.524	2614.45167	2533.7686
9.	मेघालय	177.8976	177.8976	9.36	9.36	141.75	141.75	32.14	32.14	65.25	65.25
10.	नगालैंड	213.9498	213.9498	92.50	92.50	219.7215	192.978	235.575	235.575	337.77	337.77
11.	ओडिशा	319.1328	376.78814	577.99	588.24	567.045	510.38646	212.7695	265.57195	1012.58764	1009.70243
12.	तमिलनाडु	275.1576	265.841	0.00	0.00	181.8464	174.151	85.9405	115.218	2547.96648	2495.6725
13.	त्रिपुरा	45.38	42.53	24.71	यूसी एनआर**	0.00	20.78266	7.36516	11.8125	27.0855	24.61896
14.	उत्तर प्रदेश	37.74	34.44	0.00	0.00	45.993	48.288	9.858	11.763	1031.9767	1031.9767
15.	उत्तराखंड	417.312	365.63	204.85	156.70	244.12375	235.94802	18.7415	57.465	1495.5241	1440.2141
16.	पश्चिम बंगाल	113.254	108.03694	64.1958	64.16352	87.8717	81.70052	30.05	35.01201	522.58101	517.05995
17.	राजस्थान	35.28	24.00	0.00	0.00	15.18	16.98606	6.18609	11.40	968.3004	845.76763
18.	बिहार	57.02752	59.71	39.08	1.48	0.00	0.00	0.00	22.8665	308.9825	297.81324
19.	हरियाणा	13.44	13.44	11.04	11.04	4.2345	4.2345	17.40	17.40	26.10	26.10
20.	मणिपुर	10.944	10.944	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	14.121	14.121
21.	मध्य प्रदेश	13.695	6.66	0.00	0.00	12.613	12.16	11.388	15.389	4303.794	4290.994
22.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00
23.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.308	323.308
24.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	यूसी एनआर**
कुल		**2768.21062**	**3204.4806**	**2453.35478**	**2388.86752**	**2784.4425**	**2592.44014**	**1336.21055**	**1531.40165**	**23959.99999**	**23386.18397**

* केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "हाथी परियोजना" और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "बाघ परियोजना" का विलय कर दिया गया है और अब इसे केंद्रीय प्रायोजित स्कीम "बाघ एवं हाथी परियोजना" के नाम से जाना जाएगा।

** उपयोग किए जाने संबंध में राज्य से प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

****